मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर, 1994 (भाद्र 29, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रत्नेश सॉलोमन, राज्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गौरी शंकर शेजवार, श्री कंकर मुंजारे, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम सांड़िया में पंचायत चुनावों के विवाद को लेकर दो व्यक्तियों की हुई हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, सीहोर में होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सैनिकों के फर्जी वेतन पत्रक बनाकर वित्तीय अनियमिततायें किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य, रीवा के सिविल लाइन क्षेत्र में एक विद्यालय की भूमि पर अवैध निर्माण होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री मनोहरलाल राठौर, गोपीकृष्ण नेमा, भंवरसिंह शेखावत, सदस्य, भोपाल के आनंद नगर क्षेत्र में जप्त अवैध शराब के ट्रक को अपराधियों द्वारा आबकारी अमले को आतंकित कर छुड़ा ले जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर में शास्त्री ब्रिज के पास मेटाडोर की टक्कर से एक छात्रा की मृत्यु एवं दो छात्रायें घायल होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री नन्दकुमार सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, कुंवर विजय शाह, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम सिरसूद में सरपंच एवं उनके साथियों द्वारा आगजनी और लूटपाट की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम रेंगाव में आपरेशन ब्लेक-बोर्ड के तहत हाल ही में निर्मित भवन के गिरने से एक छात्र की हुई मृत्यु की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील के अनेक ग्रामों में चिकित्सकों की लापरवाही से हुई मौतों की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री प्रेमनारायण शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले की बासौदा तहसील के अनेक ग्रामों में हैजे से हुई मृत्यु की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. रमन सिंह, श्रीमती करूणा शुक्ला, सदस्य, बलौदा बाजार के समीपस्थ ग्रामों में संक्रामक बीमारी से कई लोगों की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री ताराचन्द साहू, गंगूराम बघेल, सदस्य, महानदी परियोजना से बिना पूर्व सूचना के पानी छोड़े जाने से रायपुर जिले के अनेक ग्रामों में जान-माल की हुई हानि की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री सुरेश राय, सदस्य, होशंगाबाद जिले की एक तिलहन उत्पादक संस्था द्वारा कृषकों से क्रय सोयाबीन की राशि का भुगतान न करने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के अनेक ग्रामों में वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री विक्रम सिंह उसेंडी, सदस्य, बस्तर जिले के अनेक ग्रामों में उल्टी दस्त से कई व्यक्तियों की हुई मृत्यु की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री खेमसिंह बारमते, सदस्य, बिलासपुर जिले के अनेक ग्रामों में चिकित्सकों की लापरवाही से आंत्रशोथ से पीड़ित सैकड़ों लोगों की हुई मृत्यु की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री रामनरेश त्रिपाठी, सदस्य, जबलपुर जिले के पाटन थाना कर्मियों द्वारा अदालत के आदेश की अवहेलना कर थाने में एक व्यक्ति के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के ग्राम बिलहरा में एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री मनीष कुंजाम, सदस्य, दन्तेवाड़ा के अनेक स्वास्थ्य केन्द्रों में अवधि बाह्य दवाइयों का वितरण होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री प्रेमप्रकाश पाण्डे, बाबूलाल गौर, सदस्य, धरमसी मोरारजी रासायनिक खाद निर्माता द्वारा दुर्ग में खुली खाद का विक्रय कर कृषकों का शोषण करने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डे, सदस्य, भिलाई की वासुकी तकनीकी संस्था द्वारा बेरोजगार युवकों से लाखों रूपयों की अवैध वसूली किये जाने की ओर जनशक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, बेरसिया के विवेकानंद महाविद्यालय में अपराधी तत्वों द्वारा निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में तोड़फोड़ व उनके साथ मारपीट की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, बस्तर जिले के पंखाजुर थानान्तर्गत एक व्यक्ति की हुई हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, सतना जिले के ग्राम जमना में कर्नाटक एक्सप्लोसिव कारखाने की स्थापना से जनता में उत्पन्न रोष की ओर राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) सर्वश्री बाबूलाल गौर, गोपीकृष्ण नेमा, निर्भय सिंह पटेल, सदस्य, महू के निकट ग्राम गवली पलासिया में डकैती की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) डॉ ढालसिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी नगर कोतवाली में अकारण बंद एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के गायब होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर एवं कटनी की अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री लालचन्द मित्तल, सदस्य, शाजापुर के सुसनेर कस्बे के कुख्यात अपराधी के विरूद्ध पुलिस प्रशासन की ओर से कार्यवाही न हो पाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का आठवां, नवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां तथा तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री धनेश पटिला, सभापति, याचिका समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

85

5. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) दिनांक 22 फरवरी, 1994 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 580) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा के दौरान पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में संशोधन करने के संबंध में श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री वक्तव्य देंगे.

(2) दिनांक 28 फरवरी, 1994 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 946) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, जल संसाधन मंत्री, वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

7. संकल्प

श्री महेन्द्र सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

15 मि. " यह सदन संकल्प करता है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े मध्यप्रदेश में समाज की सक्रिय सहभागिता से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान एवं प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के माध्यम से सब के लिये शिक्षा का स्वप्न हम साकार करेंगे."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

4 घन्टे श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विधेयक, 1994 (क्रमांक 32 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) बाण सागर परियोजना के आंशिक संचालन की व्यवस्था शीघ्र किये जाने के संबंध में श्री बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश में व्यापक स्थानांतरण एवं अनियमितताओं के संबंध में सर्वश्री बाबूलाल गौर, रामेश्वर अखण्ड, बच्चन नायक, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, रामलखन शर्मा, कंकर मुंजारे, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

10. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 19 अगस्त, 1994 को उप मुख्यमंत्री (राजस्व) से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 1011) तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 30) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर सर्वश्री सुकीर्ति जैन, ईश्वर दास रोहाणी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 24 अगस्त, 1994 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 137) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर डॉ. गौरी शंकर शेजवार, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 19 सितम्बर, 1994